

पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव हेतु नियंत्राण कक्ष स्थापित

झालावाड़ 6 जुलाई/ उपजिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त कलक्टर) खजान सिंह ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के 12 जुलाई को होने वाले उपचुनाव से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा समन्वय के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय कमरा नं. 214 मिनी सचिवालय में 7 से 13 जुलाई तक नियन्त्राण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसके दूरभाष नम्बर 07432-233325 हैं। नियन्त्राण कक्ष प्रातः 9.30 से रात्रि 10 बजे तक दो पारियों में संचालित होगा।

जिला स्तरीय जनसुनवाई 9 जुलाई को

झालावाड़ 6 जुलाई/ जिला स्तरीय जनसुनवाई 9 जुलाई को प्रातः 10 बजे मिनी सचिवालय स्थित अटल सेवा केन्द्र झालावाड़ में जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक की अध्यक्षता में आयोजित होगी। प्रभारी अधिकारी भवानी सिंह पालावत ने बताया कि प्रातः 10 से 12 बजे तक जनसुनवाई की जाएगी और दोपहर 3 से 5 बजे तक जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा एवं निस्तारण किया जायेगा तथा इसी बीच जनसुनवाई के अवशेष प्रकरणों की समीक्षा बैठक भी ली जाएगी।

राजस्व लोक अदालतों में 1421 प्रकरणों का हुआ समाधान

झालावाड़ 6 जुलाई/ राजस्व लोक अदालत अभियान " न्याय आपके द्वार " कार्यक्रम के दौरान सोमवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालतों में मौके पर ही किसानों के राजस्व संबंधी 1421 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों द्वारा 6 जुलाई को ग्राम पंचायत मोडी, दुबलिया, जरगा, पिपलिया, चुरेलिया, लसुडिया शाह में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में नामान्तकरण के 367 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार खाता दुरस्ती के 407, खाता विभाजन के 104, खातेदारी धोषणा धारा 88 के 8, स्थायी निषेधाज्ञा के 5, राजस्व नकल के 306, इजराय के 4 प्रकरणों सहित टी.आई (स्थगन), गैर खातेदारी से खातेदारी, धारा 86,183 (ए) आर.टी. एक्ट इत्यादि सहित अन्य 220 मामलों का निस्तारण कर राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया।